खण्ड – 6 संख्या – 18

एकादश

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

कार्यवाही प्रश्नोत्तर सहित

भाग - 1

दिन वृहस्पतिवार, तिथि 18 जुलाई, 1996 ई०.

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर :-

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :-

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :- 9 एवं 76

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :- 1154, 1160, 1162, 1167, 1171, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 एवं 2181

परिशिष्ट :- (प्रश्नों के लिखित उत्तर)

दैनिक निबंध

टिप्पणी :- कोई भी मा० मंत्रीयों अथवा मा० सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही माकूल प्रश्न पूछा है, मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूं, मैं इसकी जानकारी लेकर कल माननीय सदस्य को बता दूंगा कि न्यायालय में स्थगन का आदेश दिया है या नहीं?

जमीन का अतिक्रमण से मुक्त कराना

1167. श्री मंसूर आलम : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलाके बरारी अंचल अन्तर्गत मौजा बहोर, कोलगावाँ, सर्व दियारा, कान्तनगर, जौनिया, बलिया, सर्लराम दियारा, जोताराम राय तथा काढ़ागोलामिलिक की जमीन गंगा कटबद्ध के बाद फिर से जमीन जोत एवं आबाद के योग्य बन गई है, जिसकी मापी अभी तक नहीं की गई है?

2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जमीन की मापी कर कागज के आधार पर भू-स्वामी को जमीनपर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, और नहीं तो क्यों?

श्री इन्दर सिंह नामधारी : 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मौजा कोलगाँवा, कान्तनगर, एवं जौनिया में जितनी जमीनगंगवार (गंगा के भरावसे प्राप्त भाग) हुई थी उस पर रैयतों को वर्ष 1993 में ही दखल दे दिया गया है। मौजा-बहोर, सर्लराम दियारा एवं काढ़ा मिलिक की लगभग पन्द्रह प्रतिशत जमीन इसी साल गंगवरार हुई है। जिस पर रैयतों को दखल नहीं दिलाया गया है।

मौजा बलिया का लगभग 60 प्रतिशत जमीन गंगवरार हुई है जिसमें 45 रैयतों को उनके कागजात के आधार पर मार्च 94 में ही दखल दिलाया गया है।

2. वर्षात एवं बाढ़ के बाद मौजा बहोरा, सर्वराम, दियारा,काढ़ा मिलिक एवं वलिया का गंगवरार जमीनके बचे हुए अंश उससे संबंधित रैयतों को कागजात के आधार पर मांपी कराकर दखल दिया जायेगा।

श्री मंसूर आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो जमीन वरार हुई है उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुताबिक जो चाहता है उस जमीन पर वो लेता है ओर फसल कोई काट लेता है। तो कागज के आधार पर उस जमीन के मालिक को कब तक वापस करेंगे?

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि कुछ जमीन वांट दिया गयाहै और बाकी तीन-चार गांवों मे वर्षा के बाद वांट दिया जायेगा। अगर कोई गड़बड़ी हो तो माननीय सदस्य बतलायें हम उसकी जांच करावेंगे।

प्रतियूनिट कम चीनी की आपूर्ति

1177. श्री सतीश कुमार : क्या मंत्री, खाद्य आपूर्ति एवं वाण्ज्यि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह वात सही है कि बिहारशरीफ शहरी इलाके में उपभोक्ताओं को 250 ग्राम चीनी आवंटित किया जाता था, फिलहाल केवल 125 ग्राम बति यूनिट चीनी आवंटित किया जाता है?

2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बिहारशरीफ के शहरी उपभोक्ताओं के 250 ग्राम प्रति यूनिट के स्थान पर 125 ग्राम प्रति यूनिट चीनी देने का क्या औचित्य है?

श्री रघुनाथ झा : महोदय, खंड (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। लेवी चीनी का मासिक आवंटन खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा पटना